520 किलो अवैध पटाखे बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

भास्कर ब्यूरो

बलरामपुर। दीपावली से पहले अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ बलरामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने दो अलग-अलग मकानों से कुल 520 किलो अवैध पटाखे बरामद किए। दोनों आरोपी बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण कर बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, 1 सितंबर को नगर कोतवाली पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि चूड़ी मार्केट टेढ़ी बाजार निवासी सगीर अहमद उर्फ मुसई (65) अपने मकान में अवैध तरीके से

पटाखे रखकर बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसके कब्जे से अलग-अलग कंपनियों के पटाखे बरामद किए। छह बोरियों में मिले पटाखों का कुल वजन करीब 120 किलो था। पुलिस ने सगीर को चूड़ी मार्केट टेढ़ी बाजार से गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह पुलिस को मो. गोबिंदबाग निवासी मो. रईस के मकान में भी अवैध पटाखे रखे होने की सूचना मिली। टीम ने गुड़ मंडी, गोबिंदबाग में कार्रवाई कर उसके कब्जे से 14 बोरियों में रखे करीब 400 किलो पटाखे बरामद किए। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दीपावली और शादी समारोह में बेचते थे पटाखे पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनके पास पटाखे बेचने का कोई लाइसेंस नहीं है। दीपावली के दौरान वे बड़ा परेड ग्राउंड में अस्थायी दुकान लगाकर पटाखे बेचते हैं। इसके अलावा घर में पटाखे रखकर शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों में भी बिक्री करते हैं। पुलिस के अनुसार, घनी आबादी के बीच इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण गंभीर हादसे का कारण बन सकता था। कार्रवाई एसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देश पर एएसपी विशाल पाण्डेय और सीओ नगर अभिषेक सिंह के पर्यवेक्षण में की गई। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर बरामद पटाखों को कब्जे में ले लिया है।